सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

17 मार्च, 2017

टर्न-19/राजेश/17.3.17

<u>क्रमांक: 53, श्री मो0 आफाक आलम</u>

श्री मो0 आफाक आलम: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्णियाँ जिलान्तर्गत कसबा प्रखंड के सौरा नदी के धनखनियाँ घाट पर स्क्रू पाईल पुल 15 वर्षे से जर्जर है, के स्थान पर आर0सी0सी0 पुल का निर्माण करावे ।''

श्री शैलेश कुमार, मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि स्क्रू पाईल पुल गरबनैली से सरहा बथना जाने वाली निर्मित पथ पर अवस्थित है । उक्त पुल 15 वर्ष पूर्व सांसद निधि से बना है तथा वर्तमान में वाहन के दबाव के कारण उक्त पुल कमजोर हो गया है लेकिन अभिस्तावित पुल के अप स्टीम में लगभग पाँच किलोमीटर पर एवं डाउन स्टीम में 6 किलोमीटर पर पुल निर्मित है । उक्त पुल के स्थान पर नया आर0सी0सी0 पुल बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुरोध है कि वे अपना संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री मो0 आफाक आलम: सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी से मेरा कहना है कि वह सिंगल रोड है, उसके अगल-बगल कहीं पुल है नहीं और वह दो प्रखंड मुख्यालय को जोड़ता है, इसलिए हम आग्रह करेंगे माननीय मंत्री जी से कि हमारे प्रस्ताव ले लेगे, इसी के साथ मैं अपना संकल्प को वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): सदन की सहमति से माननीय सदस्य मो0 आफााक आलम जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक: 54, श्री राम विशुन सिंह</u>

श्री राम विशुन सिंह: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भोजपुर जिलान्तर्गत पीरो प्रखंड में जीतौरा मध्य विद्यालय से गोकुल टोला होते हुए सनयोतार पथ तक कच्ची सड़क का पक्कीकरण करावें ।''

श्री शैलेश कुमार, मंत्री: महोदय, अभिस्तावित पथ का बसावट जीतौरा मध्य विद्यालय मुख्य पथ पर अवस्थित है। जीतौरा मध्य विद्यालय से गोकुल टोला होते हुए सनयोतार पथ जिसकी लंबाई 2.20 किलोमीटर है तथा गोकुल टोला की आबादी ढ़ाई सौ से अधिक है, जो किसी भी कोरनेट वर्क में शामिल नहीं है, इस पथ को मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना में शामिल कर निर्माण कार्य कराने का निर्णय लिया जा सकेगा । अत: वर्णित परिस्थिति में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे इस संकल्प को वापस लेने की कृपा करेंगे ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): माननीय सदस्य ।

श्री राम विशुन सिंह: महोदय, अनुरोध है कि बन जाय । मैं अपना प्रस्ताव को वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री राम विशुन सिंह जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक: 55, श्री कुमार सर्वजीत

श्री कुमार सर्वजीत: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गया जिलान्तर्गत बोध गया प्रखंड के बन्धुआॅ गुमटी से करीयातपुर होते हुए पहाड़पुर तक जर्जर सड़क का पुन: निर्माण करावे ।''

श्री शैलेश कुमार, मंत्री: महोदय, यह ट्रान्सफर हो गया है पथ निर्माण विभाग में ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): यह पथ निर्माण विभाग को ट्रान्सफर हो गया है । इसका जवाब माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग दे रहे हैं ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप-मुख्यमंत्री: महोदय, वर्तमान में बोध गया प्रखंड के बन्धुआॅ गुमटी से करीयातपुर होते हुए पहाड़पुर तक पथ ग्रामीण कार्य विभाग के अन्तर्गत है । ग्रामीण कार्य विभाग या अन्य विभाग के पथों को पथ निर्माण विभाग के अधिग्रहण हेतु विभाग द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका, संकल्प, ज्ञापांक-935 दिनांक 7.2.2017 में निर्धारित मापदंड को पूरा करने के संबंध में निर्णय लेने हेतु गठित समिति में फिजिबिलिटी रिर्पोट के आधार पर समीक्षोपरान्त निर्णय लिया जायेगा । समिति के निर्णय एवं निधि की उपलब्धता के बाद ही विभाग में अग्रेत्तर कार्रवाई किया जायेगा । वर्तमान में इस पथ को पथ निर्माण विभाग में अधिग्रहण का प्रस्ताव नहीं है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

सभापति (श्री मो0इलियास हुसैन): माननीय सदस्य, आप अपना प्रस्ताव को वापस लीजिये ।

श्री कुमार सर्वजीत: महोदय, पर्यटन के दृष्टिकोण से, इसकी महत्ता को समझते हुए, हम आग्रह करेंगे और इसी के साथ मैं अपना संकल्प को वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री कुमार सर्वजीत जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-56, श्री अनिल सिंह

श्री अनिल सिंह: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह लंबित पड़े भूमिहीन सवर्णों के सर्वेक्षण कार्य को पूरा कराकर भूमिहीन सवर्णों के नाम वासगीत जमीन की बंदोवस्ती करावे ।''

डा0 मदन मोहन झा, मंत्री: सभापति महोदय, राज्य के महादलित, अनुसूचित-जाति, अनुसूचित-जनजाति, पिछड़ा वर्ग के एनेक्सचर-1 एवं पिछड़ा वर्ग एनेक्सचर-2 के वासगीत परिवारों को वास की भूमि उपलब्ध कराने की योजना विभाग स्तर पर कार्यान्वित की जा रही है।